


राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

—: आदेश :—

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का किवरली भू. अ. निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम किवरली भू. अ. निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरौही की जमाबन्दी सम्वत 2074-78. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1	किवरली	570	खसरा संख्या 428 रकबा 2.5543 हैक्टेयर किस्म— आबादी 0.4046 हैक्टेयर गे. मु. मगरी 2.1497 हैक्टेयर	खसरा संख्या 428 रकबा 2.5543 हैक्टेयर किस्म— आबादी



(डॉ. अंशु प्रिया)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी


एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

दिनांक-10.4.2026

क्रमांक/कोर्ट/2026/20

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी प्रशासक ग्राम पंचायत किवरली को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

